

18/11/21

प्रशासन गांवों के  
अभियान-2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021" के अंतर्गत न्यायालय प्रकरणों के निष्पत्ता के निर्देश होने से पंचायती पंचायत समिति भूपालसागर की ग्राम पंचायत-चौरखड़ी में आयोजित सिविल दिनांक 18/11/21 में पेश हुई प्रार्थिया ने स्वयं की ग्राम लालवाल में स्थित निजी खेत की डा.लं. 244 रफ्तार 1.10 है। भूमि पर सीमा निशानात नहीं होने से पत्थरवाड़ी की जावे। मकड़े पर इतना पटवारी से सिविल स्थल पर उपर भूमि वाचत जानकर सिने पर बताया कि सीमा निशानात नहीं है। पत्थरवाड़ी की जाना उचित है। अतः प्रार्थिया का

नम्बर व  
अहकाम  
की  
जारी

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए।



प्राथमिक पत्र स्वीकार किया जाता है: तथा तदनुसार  
भूपालसागर को 500/- रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर  
नियुक्त किया जाएगा डिपेंडिंग किया जाता है कि  
आम जालपास की आ. सं. 244 खण्ड 1-10 है।  
भूमि पर मौके पर कोई विवाद न हो, मौके पर  
प्राप्त नहीं हो एवं अन्य विधी न्यायालय  
में कोई वाद विचाराधीन नहीं हो की जांच  
करने के उपरान्त ही उपर्युक्त को सुचित कर  
दोनों पक्षों की मौजूदगी में पूर्ण पंथावली की  
कार्यवाही की जाये, इस आशय की तबरीर की  
जाये पत्रावली फेरल सुमा देकर नंबर से  
क्रम की राशि

उपखण्ड अधिकारी  
भूपालसागर जि. दित्तोड़गढ़ (राज.)

